प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'नौ'

[19/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 821]

परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक–821

कार्यालयीन आदेश कमांक 63/भू अभि./स्था./प.च.प.05–06/2015 श्योपुर दिनांक 29.09.2015 से संपूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर कार्यावाही वावत समिति का गठन किया गया। समिति व्दारा पत्र कमांक 2015/2740 दिनांक 17.11.2015 व्दारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समिति व्दारा निम्नानुसार अनुशंसाऐं की हैं:– 1.माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 23.07.2009 अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.11.2014 में पुर्नविचार हेतु रिव्यू पिटीशन दाखिल कर उपरोक्त स्थितियों/परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विधि संगत उपचार प्राप्त किया जावे। 2.श्योपुर जिले में पटवारियों के 165 पद स्वीकृत है, जिनमें से वर्तमान में 150 पद भरे हुये है केवल 15 पद रिक्त है, जिनमें 02 पद अन्य पिछडा वर्ग के तथा 13 पद अनुसूचित जन जाति से संबंधित है। पटवारी चयन परीक्षा वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जन जाति के किसी पद पर भर्ती नही की गई थी। इसलिये केवल 02 पद अन्य पिछडा वर्ग के पटवारी चयन परीक्षा में चयनित 77 अभ्यार्थियों में से समायोजित किये जा सकेगें। श्योपुर जिले में 225 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य शासन व्दारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पटवारी हल्के गठित करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुरूप पटवारी पद स्वीकृत नही किये गये है। अतः ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुरूप शेष 60 पदों की स्वीकृति हेतु आयुक्त भू अभिलेख एवं राज्य शासन को लिखना उचित होगा,अथवा आयुक्त भू अभिलेख से मार्गदर्शन लेना उचित होगा कि क्या अन्य जिलों के रिक्त पदों के विरूद्ध इन पटवारियों का समायोजन किया जा सकता है। 3.पटवारी चयन परीक्षा वर्ष 2005–06 में चयनित 77 अभ्यार्थियों की चयन परीक्षा दिनांक 03.09.2007को निरस्त की गई थी। उक्त घटना को 08 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में अनेक चयनित पटवारी अन्य परीक्षाओं में चयनित होकर कार्य कर रहें होगें जो अब पटवारी पद हेतु इच्छुक नही होगें। अतः वास्तव में इच्छुक पटवारियों की संख्या उनसे पूंछताछ कर ज्ञात करना उचित होगा तथा उनसे उक्त आशय की घोषणा लेना भी आवश्यक होगा।